

समाहरणालय, मधेपुरा।  
(आपदा प्रबंधन शाखा)

:- आदेश :-

दिनांक 21.04.15 की रात्री में आये चक्रवात के मद्देनजर विभागीय निदेशानुसार पीड़ित परिवारों को 01 क्वींटल खाद्यान्न (50 किलो चावल एवं 50 किलो गेहूँ) उपलब्ध कराया जाना है। तदालोक में निम्न विवरणी के अनुसार तुफान प्रभावित अंचलों के अंचलाधिकारियों को खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है :-

क्र. सं.	आवंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	परिवारों की संख्या	आवंटित खाद्यान्न की मात्रा	आवंटित खाद्यान्न की मात्रा
			प्रति परिवार 50 किलो की दर से चावल की मात्रा	प्रति परिवार 50 किलो की दर से गेहूँ की मात्रा
1	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	100	5,000kg	5,000kg
2	अंचल अधिकारी, घैलाढ़	4	200kg	200kg
6	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	2000	1,00,000kg	1,00,000kg
8	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	20	1,000kg	1,000kg
9	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	20	1,000kg	1,000kg
10	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	1500	75,000kg	75,000kg
11	अंचल अधिकारी, चौसा	15	750kg	750kg
	कुल योग :-	3659	1,82,950kg	1,82,950kg

निदेशानुसार जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा से अनुरोध है कि तत्काल उपरोक्त सूची में अंकित गेहूँ एवं चावल की मात्रानुसार संबंधित अंचलाधिकारियों को एस0आइ0 ओ0 उपलब्ध कराया जाय।  
जिला प्रबंधक  
राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा

अपर समाहर्ता  
आपदा प्रबंधन,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक : 131/आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक : 28.4.15/

प्रतिलिपि :- जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा / सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा / विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- DIO, मधेपुरा को जिले के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्ता  
आपदा प्रबंधन,  
मधेपुरा।